

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मोतडी विपक्षी मीठ/लाल
 किस्म मुकदमा वार पत्रावली संख्या 118/20 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>04/06/25</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीयां की पध्दति अवसर दिये जाने पर भी वादीयां मोतडी के फौत होने पर वारिस कायमी नहीं करवाई। आज भी अधिवक्ता वादीयां को वार-वार आवजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM को चुके हैं। अधिवक्ता वादीया अब तक अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता वादीया ठारा वार-वार अनुपस्थित रहना एवं वारिस कायमी नहीं करवाने से यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादीया अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं। अतः वादीया अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद अफम हाजरी अफम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हैं।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

